राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः एफ5(610)/सू.प्रौ./टेक/12/03321/2021 दिनांकः 15/09/2021

अतिरिक्त निदेशक/सिस्टम एनालिस्ट/एसीपी
समस्त जिला, राज.

विषयः– सीईएलसी आधार नामांकन व ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग हेतु नवीन दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत 0–5 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन को गति देने व ब्लॉकवार/नगरपालिकावार जिले की कार्य योजना बनाकर नामांकन गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्न किए जा रहे है। इन निर्देशो की पालना कर जिले में सीईएलसी ऑपरेटर ऑनबोर्ड करवाकर 0–5 आयु वर्ग के बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन करना सुनिश्चित करे। ऑनबोर्डिंग कार्य हेतु ऑनलाईन पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जब तक पोर्टल लाईव नहीं होता है तब तक ऑफलाईन आवेदन भिजवाए जा सकते है।

संलग्न दिशा–निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

15.09.21

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यूआईडी)

क्रमांकः एफ5(610)/सू.प्रौ./टेक/12/03321/2021 दिनांकः 15/09/2021

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

(सर्वोत्तम पारीक)
प्रोग्रमर एवं प्रभारी, सीईएलसी

सीईएलसी आधार नामांकन व ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग हेतु
नवीन दिशा–निर्देश

A. सामान्य तथ्य :

1. वर्ष 2021 में राज्य की अनुमानित जनसंख्या लगभग 08 करोड है। उक्त जनसंख्या का 75 प्रतिशत ग्रामीण व 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में होना मानते हुए राज्य की शहरी जनसख्या लगभग 02 करोड और ग्रामीण जनसंख्या 06 करोड रहेगी। वर्तमान नवीनतम स्थिति अनुसार राज्य की लगभग 95 प्रतिशत जनसंख्या आधार कार्ड हेतु नामांकन करा चुकी है। 0–5 आयु वर्ग में नामांकन लगभग 21 प्रतिशत है। नामांकन से शेष रही कुल जनसंख्या में 0–5 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या ही प्रमुख है।
2. मोटे तौर पर कुल जनसंख्या में लगभग 12 प्रतिशत भाग 0–5 आयु वर्ग का बनता है। 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या (12 प्रतिशत के आधार पर) ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 72 लाख और शहरी क्षेत्र में लगभग 24 लाख आती है। राज्य में कुल पंचायते 11341 और 0 से 5 आयु वर्ग की ग्रामीण जनसख्या लगभग 72 लाख के आधार पर प्रति पंचायत 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चो की सख्या लगभग 635 रहेगी। यदि एक ऑपरेटर एक माह में औसतन 200 नामांकन करता है, तो तीन माह में एक पंचायत के 0–5 आयु वर्ग को पूर्ण रूप से नामांकित कर सकता है।
3. जिला स्तर पर पंचायतवार व शहरी क्षेत्र में वार्डवार विश्लेषण कर कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी जिले की जनसंख्या 20 लाख है तो उसमें 0–5 आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या 2.40 लाख होगी और इस संख्या में औसत 21 प्रतिशत के कवरेज के आधार पर लगभग 1.90 लाख आधार नामांकन से शेष और लगभग 50 हजार नामांकित बच्चें होंगे। इस 1.90 लाख अनामांकित जनसंख्या का उपखण्ड/पंचायत समितिवार विभाजन किया जाये तो प्रत्येक पंचायत समिति और नगरीय क्षेत्र में नामाकंन से शेष रहे बच्चों की संख्या ज्ञात हो जायेगी।
4. उपरोक्तानुसार जिले के ग्रामीण एवं शहरी निकायों में नामांकन से शेष से बच्चों की संख्या ज्ञात हो जाने के बाद उसी अनुपात में सीईएलसी आधार नामांकन ऑपरेटर मय किट सक्रिय करवाकर नामांकन की कार्यवाही प्रारम्भ की जानी है। सीईएलसी ऑपरेटर कैम्प मोड में कार्य करता है और उसका कोई निश्चित/स्थाई केन्द्र (सरकारी परिसर) नहीं होता। ऑपरेटर द्वारा क्षेत्र में स्वीप मोड में अनामांकित बच्चों का नामांकन किया जाना है। किसी एक पंचायत या वार्ड को पूरा कवर कर लेने के बाद दूसरी पंचायत/वार्ड में जाकर नामांकन प्रारम्भ कर देगा और इसी तरह पूरे क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रहेगा।

B. वर्तमान स्थिति :

1. राज्य के प्रत्येक जिले में वर्तमान में सीईएलसी ऑपरेटर सक्रिय हैं जो जिले में अवशेष पड़ी डिजिटल पेमेन्ट किट्स का उपयोग कर 0–5 आयु वर्ग के नामांकन का कार्य कर रहे है। चूंकि जिलो के नगरीय व ग्रामीण निकायों में इन ऑपरेटरर्स की ऑनबोर्डिंग जनसंख्या के अनुपात व क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप नहीं की गई थी इसलिए यह सम्भव है कि आपके जिले के किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक और किसी क्षेत्र विशेष में आवश्यकता से कम ऑपरेटर बच्चों का नामांकन कार्य कर रहे हो।

2. जिले में अनामांकित बच्चों की जनसंख्या के आकलन व विभिन्न निकायों में सक्रिय ऑपरेटरर्स की संख्या का विश्लेषण कर आप द्वारा प्रत्येक ग्रामीण व नगरीय निकाय हेतु सीईएलसी ऑपरेटरर्स ऑनबोर्डिंग की कार्य योजना तैयार की जानी अपेक्षित है। ऐसे नये ऑपरेटरर्स के प्रस्ताव जिले से विभागीय मुख्यालय को प्रेषित किये जाने है।

C. नये सीईएलसी ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया :

1. नई व्यवस्था अनुसार सीईएलसी ऑपरेटर बनने के लिए ई–मित्र कियोस्क धारक होने की बाध्यता नहीं रहेगी और ना ही किसी स्थानीय सेवा प्रदाता का प्रमाण–पत्र या सहमति आवश्यक है। कोई भी स्थानीय युवा जो निर्धारित पात्रताएं पूर्ण करता हो सीईएलसी ऑपरेटर के लिए आवेदन कर सकेगा और जिला स्तरीय कमेटी ऑपरेटर को चिन्हित कर ऑनबोर्डिंग हेतु प्रस्ताव विभागीय मुख्यालय को प्रेषित करेगी।
2. जिले में सीईएलसी ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया जिला कलक्टर के निर्देशन में सम्पन्न की जायेगी। जिला कलक्टर द्वारा पूर्व में गठित तीन सदस्यीय कमेटी यह कार्य करेगी। कमेटी के सदस्य निम्नानुसार होंगे :–
   (1) अतिरिक्त जिला कलक्टर :– अध्यक्ष
   (2) कलक्टर द्वारा मनोनीत अधिकारी :– सदस्य
   (3) अतिरिक्त निदेशक/सिस्टम एनालिस्ट/एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर :– सदस्य सचिव
3. ऑपरेटर हेतु पात्रताऐं निम्नानुसार रहेगी –
   - उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
   - शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12 वीं उत्तीर्ण
   - कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान और अग्रेजी और हिन्दी टाइपिंग का न्यूनतम ज्ञान।
   - विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्राधिकृत टेस्टिंग एवं सर्टिफाईड एजेंसी से आधार ऑपरेटर/सुपरवाईजर का प्रमाण–पत्र धारक।
   - स्थानीय पंचायत समिति/तहसील/नगरीय क्षेत्र के निवासी को प्राथमिकता।
   - सुपरवाईजर हेतु अतिरिक्त पात्रता के रूप में उसे आधार नामांकन का पूर्व अनुभव होना आवश्यक होगा।
4. नये आधार ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्य क्षेत्र का चिन्हिकरण कर सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी और उक्त सूचना को जिला मुख्यालय व क्षेत्र के प्रमुख कार्यालयों पर चस्पा किया जाएगा। जिले की वेबसाईट पर भी उक्त सूचना को प्रदर्शित किया जाएगा। आवेदन प्राप्त कर पात्रता पूर्ण करने वाले आवेदकों में से समिति उपयुक्त आवेदक को चिन्हित कर उसके ऑनबोर्डिंग के प्रस्ताव विभागीय मुख्यालय को प्रेषित करेगी।

D. नामांकन किट की व्यवस्था :

1. आधार नामांकन व अद्यतन हेतु व्यापारियों से पुनः प्राप्त किए गए डिजिटल पेमेंट किट कुछ संख्या में जिलो के पास उपलब्ध है। इन्ही किटों को सीईएलसी नामांकन हेतु उपयोग में लेने का निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है। यदि किट की उपलब्ध संख्या से जिले की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो जिले के सम्पूर्ण किट वितरित हो जाने के बाद ऑपरेटर को स्वयं का किट (यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित मापदण्ड का) लाने के लिए निर्देशित किया जायेगा। यह दिशानिर्देश जारी होने के बाद जो भी ऑपरेटर जिला स्तरीय समिति द्वार ऑनबोर्ड किये जाये उनसे किट की अमानत राशि के रूप में रूपये 15,000 राजकॉम्प के खाते में जमा करायें

जायेंगे। यह राशि सही स्थिति में किट जमा कराये जाने पर वापस लौटाई जा सकेगी। यदि ऑपरेटर स्वंय का किट लाता है तो उससे किट की कोई अमानत राशि नहीं ली जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नये ऑनबोर्ड होने वाले ऑपरेटर को रूपये 10,000 सिक्योरिटी राशि (पेनेल्टी सिक्योरिटी) के रूप में राजकॉम्प के खाते में जमा कराने होंगे।

2. यदि वर्तमान में सक्रिय व कार्यरत कोई ऑपरेटर एक वर्ष के लिए यूआईडीएआई द्वारा निलम्बित कर दिया जाता है तो उससे किट वापस (यदि विभागीय किट प्रदत्त है तो) लिया जाकर उसके स्थान पर नये ऑपरेटर के ऑनबोर्डिंग की कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार जो ऑपरेटर नामांकन की बजाय अद्यतन के कार्य में ही सक्रिय है और नाममात्र के नामांकन कर रहे है उनसे भी किट वापस लिया जाकर नये ऑपरेटर की ऑनबोर्डिंग की कार्यवाही की जाये।

E. अन्य विभागों की सहभागिता :

1. राज्य सरकार के दो विभाग यथा महिला एवं बाल विकास व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 0–5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से सीधे तौर पर जुड़े हुए है। जिलों में अब तक हुए सीईएलसी नामांकन की समीक्षा किये जाने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया है कि जिन ऑपरेटरर्स ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया, उनके द्वारा प्रतिमाह 200 से 400 नामांकन संख्या का लक्ष्य हासिल किया है। इसी प्रकार इन ऑपरेटर्स ने चिकित्सालयों से सम्पर्क कर नवजात शिशुओं के नामांकन के लक्ष्य को भी हासिल किया है।
2. राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग को यूआईडीएआई ने रजिस्ट्रार के रूप में पंजीबद्ध किया हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अभी ऑपरेटर्स की ऑनबोर्डिंग नहीं की जा सकी है। इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को भी रजिस्ट्रार के रूप में पंजीबद्ध करवाकर चिकित्सालयों में ऑपरेटर्स के माध्यम से शिशुओं के नामांकन की कार्य योजना विचाराधीन है।

   यहां हरियाणा राज्य का मॉडल उल्लेखनीय है, जहां Director General Health Services, Govt. of Haryana के अधीन कुल 293 केन्द्र संचालित है। यह केन्द्र जिलों की District Family & Welfare Society (EA) द्वारा स्थापित एवं संचालित है। यह सभी केन्द्र जिलों के प्रमुख अस्पतालों में स्थापित किये गये है और EA द्वारा नियुक्त ऑपरेटरों द्वारा यहां टेबलेट के माध्यम से शिशुओं का नामांकन किया जाता है। जब तक यह दोनों विभाग अपने ऑपरेटर्स के माध्यम से शिशुओं का नामांकन प्रारम्भ करें तब तक डीओआईटी के सीईएलसी ऑपरेटर जिला स्तर पर इन दोनों विभागों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करते हुए नामांकन की प्रक्रिया जारी रखेंगे।

F. कतिपय स्पष्टीकरण :

1. विभाग द्वारा ईसीएमपी आधार ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग हेतु जारी किये गये दिशा निर्देशों में सीईएलसी आधार नामांकन के सबंध में कतिपय बिन्दु शामिल किये गये थे जिन्हें निम्नानुसार संशोधित/परिवर्तित/परिवर्धित किया जाता है:–

   (i) पूर्व निर्देशों में यह अंकित किया गया था कि प्रत्येक 25,000 की जनसंख्या पर एक सीएलसी ऑपरेटर रखा जाये। इस निर्देश को बिन्दु संख्या A – 2,3 के परिपेक्ष्य में परिवर्तित किया जाता है। जनसंख्या के अनुपात में किस क्षेत्र में कितने ऑपरेटर लगाये जाकर क्षेत्र को कवर किया जाना है। यह निर्णय स्थानीय परिस्थिति अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा ही लिया जाये।

   (ii) पूर्व निर्देशों में सीईएलसी ऑपरेटर को प्रति नामांकन 45 रुपये देय होने का अंकन किया गया था जिसे बाद में सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् परिवर्तित कर ईसीएमपी नामांकन की दर अनुसार ही किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः जब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक वर्तमान प्रभावी दर ही देय होगी।

G. विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशों का विवरण जो यथावत प्रभावी रहेगें :

1. विभागीय पत्र दिनांक 08.06.2021 में प्रदत्त तीन माह में न्यूनतम 250 नामांकन करने का निर्देश, आधार नामांकन केन्द्र ऑपरेटरों के आवेदनो के साथ मूल दस्तावेज प्रेषित करने संबंधी निर्देश, ब्लैकलिस्ट हुए सीईएलसी ऑपरेटरों से किट् वापिस लेने संबंधी निर्देश, आधार ऑपरेटर ऑनबोर्डिग के प्रस्ताव भिजवाने हेतु आवश्यक प्रपत्रों संबंधी पत्र दिनांक 23.07.2021 में अंकित निर्देश, पत्र दिनांक 18 अगस्त, 2021 में बच्चों के आधार नामांकन संबंधी विविध बिन्दूओं पर जारी निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे।